धरम वीर सिंह और अन्य

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य

6 सितंबर, 2005

[बी. पी. सिंह और एस. एच. कपाडिया, न्यायाधिपतिगण]

भूमि कानून और कृषि किरायेदारीः चकबंदी योजना - शामलात देह भूमि के संबंध में तैयार की गई - कार्यकाल - प्रभावित धारकों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की - कुछ कार्यकाल - धारक जो उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे, सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर रहे थे - अभिनिर्धारित, दीवानी अपील खारिज करते हुये, रिट याचिका को भी गुणदोष के बिना खारिज कर दिया गया।

भागीरथ सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य, [2005] 7 SCC 556, संदर्भित किया।

सिविल मूल क्षेत्राधिकार : रिट याचिका (सी) संख्या 413/2003

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

याचिकाकर्ताओं के लिए एस. के. वर्मा।

प्रतिवादीगणो के लिय अजय सिवाच, प्रदीप दहिया और टी. वी. जॉर्ज।

न्यायालय का निर्णय बी. पी. सिंह, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था-

यह रिट याचिका कुछ भूमि धारकों द्वारा दायर की गई है जो संबंधित गांवो की शामलात देह भूमि के संबंध में बनाई गई चकबंदी योजना से प्रभावित हैं। उक्त योजना को कुछ अन्य मालिकों और सह-भागीदारों द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ के समक्ष सिविल रिट याचिका संख्या 18310/1998 में चुनौती दी गई थी। उक्त रिट याचिकाखारिज होने के बाद, सिविल अपील संख्या 646/2000 विशेष अनुमति द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। अपील के लंबित रहने के दौरान इस न्यायालय द्वारा दिये गये यथास्थिति के आदेश के बावजूद, याचिकाकर्ताओ ने आरोप लगाया कि वे पहले विस्थापित थे क्योंकि वे उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में पक्षकार नहीं थे।

उनके द्वारा इसलिये दायर की गई वर्तमान रिट याचिका के साथ सिविल अपील संख्या 646/2000 की सुनवाई की गई है।

हमने सिविल अपील संख्या 646/2000 को खारिज करते हुए आज अपना फैसला सुनाया है। हम याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और तदनुसार यह खारिज की जाती है।

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा मे किया जा रहा है एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिये उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नही ली जायेगी। सभी आधिकारित एवं व्यवहारिक उद्देशयो के लियेउक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन मे भी उसी को उपयोग मे लिया जायेगा।